न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

दाखिल–खारिज वाद संख्या–07 / 2017–18

प्रथम पक्षः– शिवप्रसाद नौनिया, ग्राम–चुरी पूर्वी, थाना–खलारी, जिला–रांची।

बनाम

द्वितीय पक्षः– अंचल अधिकारी, टण्डवा, जिला–चतरा।

1	2	3

आदेश

इस दाखिल–खारिज अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता शिवप्रसाद नौनिया, पिता–स्व0 बालकेश्वर प्रसाद नौतिया, ग्राम–चूरी पूर्वी, थाना–खलारी, जिला–चतरा के दाखिल–खारिज अपील अभ्यावेदन पर प्रारम्भ किया गया। यह अपील वाद अपीलकर्त्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, टण्डवा के विरूद्ध लाया गया है। दाखिल–खारिज अपील वाद से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	रकबा
सराढु	278	1660	0.20 एकड़

इस वाद की प्रक्रिया में प्रथम पक्ष ने लिखित कारण–पृच्छा के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि अपीलकर्त्ता शिवप्रसाद नौनिया मौजा–सराढु के अन्तर्गत खाता नं0–278, प्लॉट संख्या–1660, रकबा–0.20 एकड़ भूमि उन्होंने केवाला संख्या–2518, दिनांक–03.05.1994 के माध्यम से विक्रेता मो0 सदीक, पिता–स्व0 गाजो मियां एवं नाबालिग भाई बबूल मियां से हासिल किया है। यह कि विक्रेता को प्रश्नगत भू–खण्ड केवाला संख्या–1870, दिनांक–28.02.1992 से प्राप्त है। साथ हीं मो0 सदिक के नाम से पंजी–2 की प्रति भी संलग्न किया है।

वाद की सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी, टण्डवा से एक स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो पत्रांक–644, दिनांक–15.06.2018 से प्राप्त है तथा अभिलेख में संलग्न हैं। अंचल अधिकारी, टण्डवा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड का पंजी–2 में विक्रेता के नाम से जमाबन्दी कायम नहीं है तथा दखल–कब्जा भी नहीं हैं। आनॅलाईन जांच करने पर भी यह पाया गया है कि प्रश्नगत खाता नं0–278 मौजा–सराढु के अन्तर्गत गैरमजरूआ खास किस्म की भूमि की श्रेणी में आता है।

अतः वर्णित स्थिति में दाखिल–खारिज स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.20 13:40:17 +05:30
Location: 192.168.209.12

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।